

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश
आवास एवं विकास परिषद ।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 22 जनवरी, 1998

विषय:- भवन मानचित्र स्वीकृति के समय पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण ।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा भवन निर्माण मानचित्रों को स्वीकृति के समय निर्माणकर्ता से पर्यवेक्षण शुल्क वसूल किया जाता है। यह पर्यवेक्षण शुल्क अलग-अलग प्राधिकरणों में अलग-अलग दर से वसूल किया जाता है। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विकास विनियमन हेतु पर्यवेक्षण शुल्क का निर्धारण वास्तविक व्यय के आधार पर सभी प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में समान रूप से किया जाय। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजेश्वर महोदय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा-92(2) तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 41(1) के अधीन निम्न निदेश देते हैं :-

- 1- प्रस्तावित भवन के तल क्षेत्रफल को आधार मानते हुये पर्यवेक्षण शुल्क की दरें रु० 5=00 प्रति वर्गमीटर समान रूप से लागू की जाय।
- 2- यह शुल्क विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जमा किये गये 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के भवन मानचित्र को स्वीकृति के सम्बन्ध में वसूले जायेंगे।
- 3- उक्त दर वर्तमान कोस्ट इण्डेक्स पर आधारित है। अतः विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपने स्तर पर जो प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित कोस्ट इण्डेक्स के आधार पर उक्त दर को अद्यावधिक किया जायेगा।

2- कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तालेकालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।
भवदीय,

सचिव

2

2

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव ।

.....2....

4-2-90
U.C.

T.P.
श्री. पी. प्रमोद कुमार
निबं 05/2/98
वि० प्र०
रिवाज

प्रो. लि.
श्री. शासन देव की एम-ए प्रति-EE,
श्री. समस्त आर ए/ए वया
JE को अनुमान 85 अनुमान
कशदा
S. 09/2/98
TV

संख्या- 146 11/9-आ-3-98 तददिनांक

उपरोक्त को प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1.1 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 1.2 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 1.3 आवास विभाग के समस्त अनुभाग ।
- 1.4 उत्तर प्रदेश आवास बन्धु ।

आका से,

4/10/98

पा. रं. सिंह ।

अनु. सचिव ।

कार्यालय हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

पत्रांक: 207

प्रशा-2(ख)-7/97-98

दिनांक 11 फरवरी 1998,

कार्यालय ज्ञाप

उपरोक्त की प्रति अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि

अभिजाती अभियंता ह0वि0ग0, हरिद्वार ।

सहायक नगर नियोजक ह0वि0ग0, हरिद्वार ।

✓ सहायक अभियंता ह0वि0ग0, हरिद्वार ।

(K)

ह0/अस्पष्ट
सचिव,

1200 = 700
500